# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2013RAAJu223RTA085LRs of Pepo Vs Bhikharam etc

1. पेपों पुत्री पदमाराम जोजे दुर्गाराम जाट के कायममुकामान-
   a. भगाराम पुत्र दुर्गाराम जाट
   b. जेठाराम पुत्र दुर्गाराम जाट
   c. तुलछाराम पुत्र दुर्गाराम जाट
   निवासी भेड, तहसील ओसियां
   जिला जोधपुर
2. गवरी पुत्री पदमाराम जोजे धन्नाराम जाट, निवासी बारणाऊ, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
3. जेठी पुत्र पदमाराम जोजे देवराज जाट, निवासी लोडता, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर

----- **अपीलाण्ट्स (वादीगण)**

ब

ना

म

1. भीखाराम पुत्र रूगाराम जाट, निवासी सांवरीज, तहसील फलोदी जिला जोधपुर
2. मूलाराम पुत्र खुमाराम जाट, निवासी सांवरीज, तहसील फलोदी जिला जोधपुर
3. भूराराम पुत्र बिडदाराम जाट, निवासी सांवरीज, तहसील फलोदी जिला जोधपुर
4. शम्भुराम पुत्र बिडदाराम जाट, निवासी सांवरीज, तहसील फलोदी जिला जोधपुर
5. मांगीलाल पुत्र बिडदाराम जाट, निवासी सांवरीज, तहसील फलोदी जिला जोधपुर
6. जेठाराम पुत्र पदमाराम जाट, निवासी सांवरीज, तहसील फलोदी जिला जोधपुर
7. रूगाराम पुत्र पदमाराम जाट जरिये कायममुकामान--
   a. कुम्भाराम पुत्र रूगाराम
   b. गोकलराम पुत्र रूगाराम
   c. गंगाराम पुत्र रूगाराम
   d. संतोषराम पुत्र रूगाराम
   e. मांगीदेवी पुत्री रूगाराम
   f. पेपो पत्नी रूगाराम
   निवासी हुड्डों की ढाणी, सांवरीज
   तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
8. तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

----- रेस्पो. (प्रतिवादीगण)

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 29 दिसम्बर 2008 राजस्व मूल वाद संख्यया 83/2002 पेंपो व अन्य बनाम भीखाराम इत्यादि**

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री देवीलाल आर. व्यास, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता-रेस्पो.
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता

## नि र्ण य

**दिनांक : 20 दिसम्बर, 2019**

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 83/2002 श्रीमती पेंपो व अन्य बनाम भीखाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 29 दिसम्बर 2008 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 15 जनवरी 2009 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स-वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53, 188 एवं 92ए के तहत एक राजस्व वाद ग्राम सांवरीज स्थित आराजी खसरा संख्या 537 रकबा 143 बीघा 07 बिस्वा भूमि बाबत पेश कर बताया कि वक्त सेटलमेण्ट उक्त आराजी की खातेदारी पदमाराम जाट के नाम जारी हुई, पदमाराम जाट के देहान्त के बाद उक्त आराजी में प्रत्येक वादिनी तथा प्रतिवागण संख्या 6 व 7 प्रत्येक का बराबर-बराबर पांचवा हिस्सा बंट हुआ, मगर रेस्पो-प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स-वादीगण की जानकारी के बिना ही उक्त आराजी तनहा अपने नाम दर्ज करवा ली, जिसकी जानकारी अपीलाण्ट्स-वादिनीगण को नहीं होने दी। वर्तमान में "प्रशासन गांवों के संग" अभियान के दौरान अपीलाण्ट्स-वादिनीगण को उक्त तथ्य की जानकारी होने पर दावा पेश किया गया, जो स्वीकार किया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 6 व 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। जबकि प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या एक से पॉच की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जबाव-दावा पेश कर वादिनीगण-अपीलाण्ट्स के वाद का खण्डन किया गया और मजीद उजरात पेश कर जाहिर किया गया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 की रिकार्डेड खातेदारी की भूमि थी, बहैसियत सद्भावी केता प्रतिवादीगण संख्या एक से पॉच ने मूल्यवान प्रतिफल देकर विधिवत उक्त भूमि कय कर कब्जा प्राप्त किया है। रेस्पो.-प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काउण्टर-क्लेम पेश कर अपीलाण्ट्स-वादिनीगण तथा रेस्पो.-प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 के खिलाफ वादग्रस्त आराजी के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी किये जाने का निवेदन भी किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे, जबाबदावे एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित तनकियात कायम की गयी --

1. आया वादीगण विवादित आराजी खसरा संख्या 537 रकबा 143.04 बीघा वाके मौजा सांवरीज तहसील फलोदी के $^{1}/_{5}$ हिस्से की खातेदार काश्तकार है? .... जिम्मे वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2. आया वादिनीगण विवादित आराजी के अपने 1/5 हिस्से को विभाजित करवाने की मुस्तहक है? ... जिम्मे वादीगण
3. आया वादिनीगण वादपत्र में चाही गई डिक्री हुक्म इम्तनाई द्वामी विरूद्ध प्रतिवादीगण पाने की मुश्तहक है? ... जिम्मे वादीगण
4. आया विवादित आराजी प्रतिवादीगण संख्या छः व सात की खातेदारी की थी, जिन्होंने 34-35 वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या एक व दो को विकय कर दी थी, तभी से रिकार्ड में उनकी खातेदारी दर्ज है तथा कब्जा चला आ रहा है? ... जिम्मे प्रतिवादीगण
5. आया वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण उनके 34-35 वर्ष से चले आ रहे कब्जे से भी कोई अनुतोष पाने की अधिकारिणी नहीं है? .... जिम्मे प्रतिवादीगण
6. आया प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 के स्थायी निषेधाज्ञा पाने के हकदार है? ... जिम्मे प्रतिवादीगण
7. आया वादीगण का पिता संवत 2006 में ही फौत हो गया और उसने अपने जीवनकाल में ही वादिनीगण की शादियां कर दी थी, इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वे कोई अधिकार पदमाराम की सम्पति में पाने के हकदार नहीं है? .........जिम्मे प्रतिवादीगण

इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई की जाकर उक्त वाद जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 दिसम्बर 2008 को खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स-वादीगण ने यह आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि वक्त सेटलमेण्ट वादग्रस्त आराजी पदमाराम की खातेदारी में दर्ज हुई। पदमाराम के तीन पुत्रियॉ (अपीलाण्ट्स संख्या एक से तीन) और दो पुत्र (रेस्पो. संख्या 6 व 7) थे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पदमाराम का देहान्त संवत 2006 में हुआ, उस समय उक्त पॉच ही उनके वारिस थे और सभी का वादग्रस्त आराजी में समान हक हिस्सा बनता था, मगर रेस्पो.-प्रतिवांदीगण संख्या 6 व 7 ने अपीलाण्ट्स-वादीगण के वादग्रस्त आराजी में हक-हकूक को दरकिनार करते हुए समस्त आराजी केवल दोनो के नाम ही दर्ज करवा ली, जिसकी कोई जानकारी अपीलाण्ट्स-वादीगण को नहीं होने दी। जानकारी होने पर दावा किया। साथ ही फौतेदगी नामांतरकरण को भी चुनौती दी गयी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को सरासर नजरअंदाज कर दिया गया कि अपीलाण्ट-वादिनीगण मूल खातेदार पदमारामजी की जाईन्दा पुत्रिया है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में उनका भी पुत्रों के बराबर समान अधिकार बनता है। इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु भी यही है कि क्या वादग्रस्त आराजी में वादिनीगण प्रत्येक का पॉचवा हिस्सा बनता है या नहीं? मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर गौर नहीं कर प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 द्वारा निष्पादित प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज पर विश्वास करते हुए दावा खारिज कर दिया, जो कतई न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। रेस्पो.-प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 द्वारा निष्पादित बेचाननामा बाबत अपीलाण्ट्स-वादिनीगण संख्या एक से तीन की कभी कोई स्वीकृति नहीं रही है, अतः इस कारण भी उक्त कथित बेचाननामा निरस्त किये जाने योग्य होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया है। रेस्पो.-प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 द्वारा निष्पादित प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी दस्तावेज के आधार पर रेस्पो.-प्रतिवादीगण संख्या एक से पॉच को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 व अन्य तनकियात का निस्तारण वादीगण के खिलाफ करने में गम्भीर विधिक भूल की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ज़बाव में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पदमाराम की स्व-अर्जित भूमि रही है। पदमाराम का देहान्त संवत 2006 में हुआ जबकि पैमाईश संवत 2012 में हुई। वादिनीगण-अपीलाण्ट्स पदमाराम की जाईन्दा पुत्रियॉ थी जिनका विवाह पदमाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही कर दिया गया था और यथोचित दान-दहेज देकर इन्हें इनके ससुराल विदा किया था, उसके बाद भी हिन्दू रीति रिवाज अनुसार समय समय पर जो भी तीज-त्यौहार आदि पर लेन-देन करना होता, पदमाराम जी द्वारा किया जाता रहा, पदमाराम जी के देहान्त के बाद यह दायित्व प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 6 व 7 द्वारा निभाया जाता रहा। वक्त पैमाईश वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 6 व 7 का ही कब्जा-काश्त था, इस कारण इन दोनों के ही नाम भूमि दर्ज की गयी और वाद प्रस्तुत किये जाने के करीब 34-35 साल पूर्व इन दोनों के द्वारा वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण संख्या एक व दो कमशः भीखाराम व मूलाराम को बेचान कर कब्जा सुर्पुद कर दिया गया, तब से आदिनांक वादग्रस्त आराजी पर इनका कब्जा काश्त चला आ रहा है, राजस्व रिकार्ड में भी केतागण का नाम दर्ज हो चुका है। अधिवक्ता-रेस्पो. का कथन है कि पदमाराम का देहान्त संवत 2006 में हो गया था जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में प्रभाव में आया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व हिन्दू निर्वसीयती की सम्पत्ति में पुत्रियों का कोई हक-हिस्सा निहित नहीं होता था।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श-एक जमाबंदी खतौनी ग्राम सांवरीज तहसील फलोदी संवत 2055-2058 के अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 537 रकबा 103 बीघा 04 बिस्वा भीखाराम पुत्र रूगा 71 बीघा 12 बिस्वा एवं मूला पुत्र खूमा 31 बीघा 12 बिस्वा कौम जाट साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खसरा संख्या 537/1 रकबा 40 बीघा भूराराम, शंभूराम, मांगीलाल पिसरा बिडदाराम कौम जाट साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। प्रदर्श-2 के जमाबंदी (खतौनी) ग्राम सांवरीज संवत 2014 से 2017 में खसरा संख्या 537 रकबा 143 बीघा 4 बिस्वा पदमा पुत्र पुरखा जाट साकिन देह खातेदार के नाम तथा संवत 2018-2021 में म्युटेशन संख्या 134 के हवाले से जेठा, रूगा, नथा पुत्र पदमा जाट साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा अपील संख्या 221/2001 जेठा बनाम भीखा व अन्य का निर्णय दिनांक 30 अक्तूबर 2003 पारित करते हुए म्युटेशन संख्या 358, (जो स्टाम्प संख्या 204 दिनांक 4 जून1968 पर बएवज 99/- रूपये जेठा द्वारा भीखा व मूला द्वारा आराजी खसरा संख्या 537 रकबा 143 बीघा 04 बिस्वा बाबत निष्पादित दस्तोवज के आधार पर स्वीकृत हुआ,) के संबंध में प्रस्तुत द्वितीय अपील आंशिक तौर पर स्वीकार करते हुए उक्त म्युटेशन खारिज कर प्रकरण जेठा की उम्र की जांच अन्य बिन्दुओं सहित कर पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा इस म्युटेशन के खिलाफ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील दिनांक 13 नवम्बर 2001 को मियाद बाधित मानते हुए खारिज कर दी गयी थी। जिसकी अपील अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त के यहॉ हुई और प्रकरण तहसीलदार फलोदी को रिमाण्ड किया गया तथा तहसीलदार फलोदी द्वारा पारित आदेश की अपील पुनः अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष पेश हुई, जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जरिये विड्रावल दिनांक 25 सितम्बर 2019 को खारिज की गयी। इस आदेश का रिव्यु प्रार्थनापत्र भी पेश होकर खारिज हो चुका है।

मौखिक साक्ष्य में वादिनी पेंपो ने जिरह के दौरान अंगीकार किया कि उसकी शादी कब हुई पता नहीं, पदमाराम ने भूमि कब खरीदी - पता नहीं,खेत मेरे भाईयों ने नहीं बेचा, भाईयों का नाम कब चढा-पता नहीं।

इसी प्रकार वादिनी-अपीलाण्ट जेठी द्वारा भी जिरह में जाहिर किया गया कि हम भाई बहिनों में कोई अदावत नहीं है, भाइयों ने भीखाराम को जमीन बेच दी हो तो मुझे मालूम नहीं।

इस प्रकार इनके जिरह में किये गये कथनों से प्रकट होता हैं कि दावा वादीगण और प्रतिवादीगण संख्या छः और सात द्वारा परस्पर दुरभिसंधिपूर्वक पेश किया गया प्रतीत होता है। वादीगण प्रस्तुत दावा के संबंध में तथ्यों से अनभिज्ञ है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर तनकी संख्या एक **आया वादीगण विवादित आराजी खसरा संख्या 537 रकबा 143.04 बीघा वाके मौजा सांवरीज तहसील फलोदी के $^{1}/_{5}$ हिस्से की खातेदार काश्तकार है? (जिम्मे वादीगण)** का निर्णय वादीगण-अपीलाण्ट्स के खिलाफ एवं प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या एक से पांच के पक्ष में किया है, जिससे अदालत हाजा बाद परीक्षण एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के कानूनी प्रावधानों के आलोक में सहमत है और तनकी संख्या एक के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाता है।

तनकी संख्या एक के निर्णय के आधार पर तनकी संख्या दो **आया वादिनीगण विवादित आराजी के अपने $^{1}/_{5}$ हिस्से को विभाजित करवाने की मुस्तहक है?(जिम्मे वादीगण)** स्वभाविक रूप से वादिनीगण-अपीलाण्ट के

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

खिलाफ तय हो जाती है। अतः तनकी संख्या दो बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाता है।

तनकी संख्या तीन **आया वादिनीगण वादपत्र में चाही गई डिकी हुक्म इम्तनाई दवामी विरूद्ध प्रतिवादीगण पाने की मुस्तहक है? (जिम्मे वादीगण)** का निस्तारण भी तनकी संख्या एक के आधार पर स्वभाविक तौर पर वादीगण-अपीलाण्ट्स के खिलाफ करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः तनकी संख्या तीन बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाता है।

तनकी संख्या चार **आया विवादित आराजी प्रतिवादीगण संख्या छः व सात की खातेदारी की थी, जिन्होंने 34-35 वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या एक व दो को विकय कर दी थी, तभी से रिकार्ड में उनकी खातेदारी दर्ज है तथा कब्जा चला आ रहा है? (जिम्मे प्रतिवादीगण)** के संबंध में **प्रदर्श-एक** तथा **प्रदर्श-दो**, जिनके बाबत पूर्व में विवेचन किया जा चुका है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वादग्रस्त आराजी के खातेदार पदमाराम का देहान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के पूर्व ही (संवत 2006 में) हो चुका था। यद्यपि वादिनीगण-अपीलाण्ट्स पदमराम का देहान्त संवत 2006 में होने से सहमत नहीं है, किन्तु वादिनीगण-अपीलाण्ट्स स्वयं इस संबंध में एकमत नहीं है कि पदमाराम का देहान्त कब हुआ, उनके द्वारा इस संबंध में अलग-अलग कथन किये गये है, जिसका उल्लेख बयानात के विवेचन के दौरान स्पष्ट सामने आया है। ऐसी स्थिति में वादिनी-पक्ष द्वारा किये गये विराधाभासी एवं भिन्न-भिन्न अभिकथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। प्रतिवादीगण के साक्ष्यों से साबित होता है कि पदमाराम के खातेदार पुत्रों द्वारा वादग्रस्त भूमि का विकय किया, तब से (संवत 2027) प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच को कब्जा सुपुर्द कर दिया और वे इस पर

लगातार बतौर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। इन्हीं सब तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या चार का निर्णय प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच के पक्ष में किया है, जिससे अदालत हाजा सहमत है।

तनकी संख्या पांच **आया वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण उनके 34-35 वर्ष से चले आ रहे कब्जे से भी कोई अनुतोष पाने की अधिकारिणी नहीं है? (जिम्मे प्रतिवादीगण)** तनकी संख्या चार के निर्णय के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच के पक्ष में निर्णित की गयी, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पायी जाती है।

तनकी संख्या छः **आया प्रतिवादीगण विरुद्ध वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 के स्थायी निषेधाज्ञा पाने के हकदार है? ( जिम्मे प्रतिवादीगण)** का निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या चार के निर्णय के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच के पक्ष में सही किया गया है।

तनकी संख्या सात **आया वादीगण का पिता संवत 2006 में ही फौत हो गया और उसने अपने जीवनकाल में ही वादिनीगण की शादियां कर दी थी, इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वे कोई अधिकार पदमाराम की सम्पति में पाने के हकदार नहीं है? (जिम्मे प्रतिवादीगण)** अन्य सभी एक से लेकर छः तक तनकियात उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य-सबूतों के विश्लेषण के पश्चात वादिनीगण के खिलाफ एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच के पक्ष में निर्णित हो जाने से इस विधिक तनकी बाबत कोई विवेचन कर निर्णय पारित करना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवश्यक नहीं माना गया। जिससे भी अदालत हाजा सहमत है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाये जाते है जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदुनसार खारिज की जाती है और अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 29 दिसम्बर 2008 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 20/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर